भू-अर्जन पदाधिकारी बर्खास्त

फर्जी पमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति कोटे पर कर रहे थे नौकरी

हिन्दुस्तान ब्यूरो

पटना

फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नौकरी चली गई। पोल खुलते ही राज्य सरकार ने जांच कराकर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। इसी के साथ बिहार प्रशासनिक सेवा के ही 11 अफसरों को नई जिम्मेवारी भी सौंप दी गई। इनमें आरा, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ और दरभंगा के नगर आयुक्त भी शामिल हैं। नये स्थान पर पदस्थापित किये गये इन अफसरों में आठ को अपर सचिव से विशेष सचिव में प्रोन्नति के बाद नई जिम्मेवारी मिली है।

नई जिम्मेदारी

- बिहार प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों की नई तैनाती
- आरा, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ और दरभंगा के नगर आयुक्तों के तबादले

भागलपुर के भू अर्जन पदाधिकारी प्रमोद कुमार सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार ने यह कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने के बाद की है। श्री सिंह पर फर्जी पमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति कोटे की नौकरी पाने का आरोप था। जिन अफसरों को प्रोन्नति दी गई है उनमें आरा के नगर आयुक्त हरेन्द्र शर्मा को राजस्व एवं भूमि सुधार, बिहारशरीफ के नगर आयुक्त अनिल कुमार वर्मा को जल संसाधन और दरभंगा के नगर आयुक्त लक्ष्मेश्वर झा को पथनिर्माण विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है।

मुख्यमंत्री सचिवालय में अपर सचिव सुरेन्द्र प्रसाद और खनन विभाग के रामचन्द्र पासवान को वहीं पर विशेष सचिव बनाया गया है। युवा एवं छात्र कल्याण के निदेशक हेमचन्द्र प्रसाद को अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम का एमडी, कृषि निदेशक (प्रशासन) कमलेश्वर गिरी को युवा एवं छात्र कल्याण का निदेशक और निर्वाचन विभाग के अपर सचिव अर्जुन प्रसाद को राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का एमडी बनाया गया है। जिन अधिकारियों का अपने ही वेतनमान में तबादला किया गया है उनमें खादी बोर्ड के एमडी प्रदीप चन्द्र शरण को निगरानी, मुख्यमंत्री सचिवालय के विशेष सचिव नृपति मंडल को समाज कल्याण और मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त राम अवतार राम को वन एवं पर्यावरण विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है।